

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/नेत्र सहायक/एम 99/2019/

दिनांक:

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बारां।

विषय: श्री सुनील कुमार वर्मा, नेत्र सहायक के 9 वर्षीय एसीपी की स्वीकृति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री सुनील कुमार वर्मा, नेत्र सहायक की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 18.9.2008 से 3.9.2015 तक थी, उक्त अवधि की वेतन वृद्धियों का इन्द्राज इनकी सेवापुस्तिका में कराया जावे तथा नेत्र सहायक के पद पर नियुक्ति दिनांक 4.9.2015 से प्रोबेशन अवधि समाप्ति तक कार्मिक का पुनरोक्षित वेतनमान 2008 के नियम 22 के तहत वेतन निर्धारण करते हुए सेवापुस्तिका में इन्द्राज कर की गई कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करावें, ताकि 9 वर्षीय एसीपी स्वीकृत की जा सके। कार्मिक की सेवापुस्तिका संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्न : मूल सेवापुस्तिका।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर

क्रमांक: ई-33/नेत्र सहायक/एम 99/2019/131

दिनांक: 14/5/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अंता, बारां।
2. श्री सुनील कुमार वर्मा, नेत्र सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर